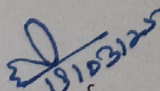
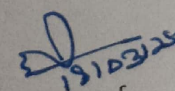


न्यायालय अपर समाहर्ता, पाकुड़

आर० एम० पी० वाद सं०-24/2011-12

(61/2002)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़-बनाम-अनिल कुमार
आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03
	यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर०एम०पी० वाद सं०-61/2002 में दिनांक-30.12.2011 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा-खपड़ाजोला के जमाबन्दी सं०-45/32, दाग सं०-321 अंतर्गत रकवा-01बी०-06क०-00धूर भूमि का विपक्षी अनिल कुमार, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबन्दी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था० रा० वि० वाद सं०-100/98-99 में दिनांक-24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबन्दी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है। संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी/उत्तराधिकारी उपस्थित तो हुए परन्तु उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में किसी प्रकार का कोई भी कागजात/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया। अंतिम नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। यह वाद लम्बे समय से विचाराधीन है और विपक्षी द्वारा आज तक ना तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और ना ही दावे के समर्थन में कोई कागजात/दस्तावेज दाखिल किया गया है। अभिलेख में जो कागजात उपलब्ध है उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि राजस्व पंजी-॥ में वैध रूप से जमाबन्दी सृजित की गयी है। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की सरकारी भूमि है। प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी विपक्षी के नाम से किस वैध आधार पर सृजित किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विपक्षी के नाम से राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबन्दी बिल्कुल अवैध है। जिसका सरकार के हित में विलोपन किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी अनिल कुमार, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबन्दी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।	